

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / 08 / 2026

टीटू पुत्र मुकेश जाति बाल्मिकी, निवासी आनन्द नगर कॉलोनी तहसील व जिला
भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

..... उत्तरवादी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 1561 दिनांक 20.3.2025
तहसीलदार भरतपुर।

उपस्थित:-

स्वयं अपीलान्त

निर्णय

दिनांक 11.2.2026

अपीलान्त ने यह अपील विरुद्ध आदेश नामान्तकरण संख्या 1561 दिनांक 20.3.2025 तहसीलदार भरतपुर पेश की गई है। अपीलान्त का अपील में कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 371 रकवा 0.41 है0 बाके ग्राम चिचाना तहसील भरतपुर को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा श्रीमती मिथलेश कुमारी वगैरे से दिनांक 31.1.2025 को क्रय किया गया था। बयनामा इस समय दस्तावेज लेखन की कमी के कारण कंटा अपीलान्त की जाति बाल्मिकी के स्थान पर जाटव दर्ज कर दी गई थी। अपीलार्थी द्वारा उक्त सहवन से हुई त्रुटि को जरिये संशोधन पत्र द्वारा संशोधित कराकर उप पंजीयक भरतपुर के समक्ष तस्दीक व पंजीकृत करा दिया है। अपीलार्थी द्वारा विवादित नामान्तकरण के आधार दर्ज राजस्व रिकार्ड में संशोधन हेतु तहसीलदार भरतपुर से निवेदन किया तो तहसीलदार भरतपुर द्वारा आदेशित किया कि उक्त संशोधन श्रीमान जिला कलक्टर द्वारा किया जा सकता है और उन्होंने संशोधन करने से इन्कार कर दिया। अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 1561 में संशोधन कर राजस्व रिकार्ड में अपीलान्त की जाति जाटव के स्थान पर बाल्मिकी दर्ज किये जाने की आज्ञा दी जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर के पत्रांक एलआर/26/758 दिनांक 5.2.2026 के साथ सत्यप्रतिलिपि नामान्तकरण संख्या 1561 प्राप्त होने पर शामिल मिसिल की गई। अपीलान्त को सुना गया। अपीलान्त ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि नामान्तकरण संख्या 1561 में संशोधन कर राजस्व रिकार्ड में अपीलान्त की जाति जाटव के स्थान पर बाल्मिकी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया अपीलान्त की प्रार्थना पर गौर किया। नामान्तकरण संख्या 1561 ग्राम चिचाना तहसील भरतपुर पर गौर किया

जिला कलक्टर
भरतपुर

(2)


अपील राजस्व / 08 / 2026

टीटू बनाम राज0 सरकार

गया। अपीलान्त विवादित नामान्तकरण संख्या 1561 में अपनी जाति जाटव के स्थान पर बाल्मिकी का संशोधन करना चाहता है। यह जाँच का विषय है, इस लिये प्रकरण को वास्ते जांच तहसीलदार भरतपुर को रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमान्ड) किया जाता है कि वे अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये साक्ष्य सबूत लेकर विधिवत जांच कर पुनः निर्णय पारित करें।


(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

